न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 36/2022

1 गुल्लाराम पुत्र नारायण।
2 भगवाना पुत्र नारायण।
3 सांगूराम पुत्र नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बाड़ियान तन ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 संजीव कुमार पुत्र छाजूराम।
2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र छाजूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डेहरान तन ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 भूमिधारी तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4 मैनेजर दी सैन्ट्रल कॉआपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा ग्राम कांवट जिला सीकर।
5 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा ग्राम पीथमपुरी जिला सीकर।
6 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ग्राम चला जिला सीकर

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.05.2022 अदालत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बविरूद्व प्रार्थना पत्र उनवानी संजीव कुमार आदि बनाम गुल्लाराम आदि प्रार्थना पत्र संख्या 92/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विधाधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री नरेन्द्र पाल सिंह, अधिवक्ता रेस्पो.नं. 5 व 6

–निर्णय–

दिनांकः–1/7/22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 92/2022 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट आवेदकगण संख्या 01 व 02 ने अपीलकर्तागण व रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 7 के विरूद्व अदालत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 646 ता 651 कुल किता 6 कुल रकबा 11.61 हैक्टेयर वाके ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 व इनके भाई छीगनलाल, बहादुर सिंह की 167/915 हिस्सा की खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमियों में खसरा नम्बर 650 हिस्सा में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 व इनके भाई रिहायशी मकान बनाकर परिवार सहित आबाद एवं काबिज काश्त है। उक्त भूमि के दक्षिण की ओर अप्रार्थीगण/अपीलांट्स की कृषि भूमि खसरा नम्बर 644 स्थित है तथा इस खसरा नम्बर 644 के दक्षिण में कटानी रास्ता स्थित है। इस कटानी रास्ते से अपने खेत व मकानात में आवाजाही करते रहे है व इसी रास्ते से अपने साधन, वाहन ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहे है यह रास्ता जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण/अपीलकर्तागण इस रास्ते को अवरूद्व करना चाहते है। यह आवेदन प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट की कृषि भूमि के दक्षिण में कोई कटानी रास्ता उपलब्ध नही है। रेस्पोडेंट का इस भूमि में आने जाने का न तो पूर्व मे कोई रास्ता था न आज है। भूमि खसरा नम्बर 541 पीथमपुरी के पश्चिम में स्टेट हाईवे सड़क नीमकाथाना, चला, कांवट व थोई डामर सड़क स्थित है जिससे होकर खसरा नम्बर 541 व 544 की दक्षिणी नींव के सहारे–सहारे होकर खसरा नम्बर 630 की पश्चिमी सींव के पास से होकर खसरा नम्बर 555,529 व 628 की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज है से होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अपने खातेदारी की भूमि खसरा 650,649,647,648,646 व 651 में सदैव से आते जाते रहे है। उक्त रास्ता पूर्वजों के समय से मौके पर कायम रहता आ रहा है। जिससे होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 व अन्य सहखातेदार काश्तकार आते जाते रहे है व वर्तमान में आ रहे है। उक्त वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारों को सूचित किये बिना मनमर्जी से तैयार की है। विधिक प्रावधानों के अनुसार आई. एल.आर. से नीचे का अधिकारी मौका रिपोर्ट के लिए अधिकृत नही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी। इन आपत्तियों पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय ने विधिक भूल की है। विद्वान अधिवक्ता ने वर वक्त बहस प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस एवं जमांबदी प्रस्तुत की है। वरवक्त बहस अपीलांट ने नक्शा मौका, फर्द मौका रिपोर्ट बाबत रास्ता, राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव की प्रति, प्रस्ताव ग्राम पंचायत समिति नीमकाथाना, अनापत्ति प्रमाण पत्र फर्द के साथ प्रस्तुत की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2018–19 पेज 516, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 649, आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1543, आर.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आर.टी. 2016(2) पेज 1281, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 40 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की उपस्थिति होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। विधि अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के विशेष कथन में अंकित किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 628 तक रास्ता बना हुआ है। उक्त जवाब से भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की भूमि पर जाने का कोई रिकार्डेड वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। इसके समर्थन में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा ग्राम पीथमपुरी के नक्शे की शीट प्रस्तुत की गई एवं कथन किया गया कि अपील में दर्शित रास्ता नक्शे में कुटरचित ढ़ंग से अंकित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन एवं विवेचन कर वैकल्पिक रास्ता नही होने पर विचाराधीन निर्णय से आवेदनकर्ता का आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की उपस्थिति होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। विधि अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के विशेष कथन में अंकित किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 628 तक रास्ता बना हुआ है। उक्त जवाब से भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की भूमि पर जाने का कोई रिकार्डेड वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। विचारण न्यायालय द्वारा आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन एवं विवेचन कर वैकल्पिक रास्ता नही होने पर विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

से आवेदनकर्ता का आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11-1-2011 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर